विज्ञप्ति

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या– 25021 / दो–380(57) ए / खण्ड–5 / लाइसेंस / थो0भा0आ0दर / ई–टेण्डर / 2021–22 /
दिनांकः22फरवरी,2021

ई–टेण्डर नोटिस

(वर्ष 2021–22 में भांग की थोक आपूर्ति हेतु ई–टेण्डर)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की पूर्व विज्ञप्ति संख्या 24243 / दो–380(57)ए / खण्ड–5 / लाइसेंस / थो0भा0आ0दर / ई–टेण्डर / 2021–22 / दिनांक 09.02.2021 के कम में वर्ष 2021–22 हेतु भांग की थोक आपूर्ति हेतु आमंत्रित की गयी ई–निविदा प्रक्रिया को अपरिहार्य तकनीकी कारणों से निरस्त करते हुये वर्ष 2021–22 हेतु भांग की थोक आपूर्ति हेतु पुनः ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उक्त ई–निविदा प्रक्रिया में समस्त शर्तें यथावत हैं। इच्छुक निविदादाता NIC के वेब पोर्टल www.etender.up.nic.in के माध्यम से आनलाइन निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

Hchandra 22.02.2021

(हरिश्चन्द्र)
अपर आबकारी आयुक्त
(लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास)
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या– 25022 / दो–380(57) ए / खण्ड–5 / लाइसेंस / थो0भा0आ0दर / ई–टेण्डर / 2021–22 / दिनांक फरवरी, 22,2021

ई–टेण्डर नोटिस

(वर्ष 2021–22 में भांग की थोक आपूर्ति हेतु ई–टेण्डर)

वर्ष 2021–22 के लिए प्रदेश के विभिन्न प्रभारो मे स्थित बधित आबकारी गोदामो मे भांग की थोक आपूर्ति हेतु टू बिड सिस्टम पर NIC के वेब पोर्टल www.etender.up.nic.in के माध्यम से ई निविदा आमंत्रित की जाती है। लखनऊ प्रभार को तीन हिस्सों 1–लखनऊ प्रभार–क (मात्र जनपद रायबरेली) 2–लखनऊ प्रभार–ख (मात्र जनपद लखनऊ) 3–लखनऊ प्रभार–ग (जनपद उन्नाव, हरदोई, सीतापुर व खीरी) के रुप में विभाजित किया गया है, अतः इन तीनों हिस्सों को अलग–अलग प्रभार मानते हुये इन पर पृथक–पृथक निविदा आमंत्रित की जाती है। एक टेण्डर फार्म पर अधिकतम दो प्रभारों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु टेण्डर दिया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा मात्र एक टेण्डर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक ई–टेण्डर के साथ रूपया **10,000/– (दस हजार)** की धरोहर धनराशि का शिड्यूल बैंक के ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/डाकखाने के नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट/पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट, जो आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 के पदनाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, के रूप में इसकी पीडीएफ स्कैन्ड फाइल अपलोड की जायेगी तथा उसकी मूलप्रति कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में तकनीकी बिड टेण्डर खुलने से पूर्व जमा करनी होगी। ई–टेण्डर में प्रतिभाग करने के लिये आवेदक के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

ई–टेण्डर स्वीकृति की सूचना मिलने पर ई–टेण्डरदाता को एक सप्ताह के अन्दर नियमों/शर्तों के यथोचित पालन के लिए जमानत के तौर पर रूपया **25,000/– (पचीस हजार)** धनराशि की किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पद नाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, प्रतिभूति के रूप में जमा कर प्रपत्र आई0डी0–3 में अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी। निविदा के साथ निम्न अभिलेखीय प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

1– निविदादाता द्वारा आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में न्यूनतम रूपया 1,00,000/– (एक लाख) का बैलेंस प्रदर्शित करने वाली बैंक या डाकखाने की सेविंग्स एकाउन्ट के पास–बुक की छायाप्रति या सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत बैंक/डाकखाने के एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की प्रति को ई–टेण्डर की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड करना होगा।

2– अपने निवास के जनपद के जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र व अदेयता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

3– राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, नाम, पिता का नाम, पता तथा प्रमाणित हस्ताक्षर का विवरण अपलोड करना होगा।

4– रूपया 10/– के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अपलोड करना होगा।

5– धरोहर धनराशि का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आदि) अपलोड करना होगा।

6– पैन, वर्ष 2019–20 का आयकर रिटर्न, आवेदक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अन्य सुसंगत अभिलेख अपलोड करना होगा।

7– वर्ष 2020–21 के जिन थोक भांग आपूर्तकों को अन्य जनपदों की अतिरिक्त आपूर्ति आवंटित की गयी है, उन्हें संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अपलोड करना होगा कि उनके द्वारा यथानिर्दिष्ट भांग की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति जनपद को कर दी गयी है, जो संतोषजनक है। अन्यथा की स्थिति में आपूर्तक इस आशय का एक शपथ–पत्र ई–टेण्डर के साथ प्रस्तुत करेगा कि वह यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त भांग की आपूर्ति संबंधित जनपद को 28.02.2021 तक कर देगा।

8– वर्ष 2021–22 के लिए चयनित आवेदक को आई0डी0–3 अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए गत वर्ष/वर्षों में जमा प्रतिभूति को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, अपितु आवेदन पत्र के साथ नई प्रतिभूति धनराशि के रूप में किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत रूपया 25,000/–(पचीस हजार) की सावधि जमा रसीद अपलोड करना होगा।

ई–टेण्डर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैः–

Tender Publish Date on Website www. etender.up.nic.in	25.02.2021
Documents Download Start Date	25.02.2021 :: 10.00AM
Clarification Start Date	25.02.2021
Prebid Conference	N.A.
Clarification End Date	04.03.2021
Documents Download and Submission End Date	05.03.2021 :: 12.00Noon
Technical Bid Opening Date	05.03.2021 :: 2.00PM
Financial Bid Opening Date	05.03.2021 :: 4.30PM

आई0डी0–2 प्रपत्र फाइनेंशियल बिड के अन्तर्गत तथा अन्य समस्त अभिलेख (बिन्दु 1 से 7 के अनुसार) तकनीकी बिड के अन्तर्गत अपलोड किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दें।

प्राप्त ई–टेण्डर की टेक्निकल बिड **दिनांक 05–03–2021** को ही अपरान्ह **02 बजे** तक फाइनेंशियल बिड अपरान्ह **04.30** बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के समक्ष कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भवन, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ मे खोले जायेंगें।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए थोक भांग आपूर्ति हेतु प्रभारवार, अधिकतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः–

प्रभार का नाम	वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित अधिकतम थोक भांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम रू0 में)
1– आगरा, अलीगढ झांसी एवं मिर्जापुर प्रभार के जनपदो के लिए	24/–
2– प्रयागराज एवं चित्रकूटधाम प्रभार के जनपदो के लिए	20/–
3– प्रदेश के शेष प्रभारों के जनपदों के लिए	19/–

(पी0गुरू प्रसाद)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।